न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/99/2019	2019/00194	13–11–2019	01–08–2024

01– सुरेश पुत्र ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी ग्राम नंगलीमेघा तह0 रामगढ़।
02– सुनील पुत्र ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर (राज0)।
– अपीलार्थीगण

बनाम

01– महेश पुत्र भूदर जाति मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तह0 रामगढ़।
02– दिनेश पुत्र भूदर जाति मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर।
– प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक 21.10.2019 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2018

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट
02–श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 21.10.2019 प्रकरण संख्या 01/2018 ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1080 रकबा 0.51 हैक्टेयर ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर राज. में स्थित है, जिस बाबत प्रार्थी रैस्पोडेण्टान ने अपीलाण्ट्स के खिलाफ धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र संख्या 01/18 अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा दिलवाने बाबत पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र का आलोच्य निर्णय दिनांक 21–10–2019 के जर्ये विधि विरूद्ध व कब्जे व मौके व गत रिकार्ड के खिलाफ निस्तारण कर अप्रार्थीगण अपीलाण्टान को विवादित आराजी से बेदखल करने तथा पेनेल्टी (जुर्माना/शास्ति) राशि वसूल करने के आदेश पारित किए गये हैं, जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जो निम्न आधारों पर स्वीकार होने तथा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त होने योग्य है व प्रार्थना पत्र रैस्पाडेण्टान खारिज होने योग्य है। आलोच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध तथा कब्जे व मौके तथा गत रिकॉर्ड के खिलाफ होन के कारण अपास्त होने योग्य है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के दादा निहाल चंद को भारत के बंटवारा होने पर पाकिस्तान से भारत आने पर बतौर रिफयूजी/शरणार्थी के रूप में आवंटित हुई थी, जिसकी अलोटमेंट खतौनी संख्या 72 है। अपीलाण्ट के दादा निहाल चन्द उक्त अलोटमेंट से प्राप्त विवादित आराजी पर जब तक जीवित रहे, कार्य काश्त करते रहे। उनके स्वर्गवास के बाद अपीलाण्टान के पिता औमप्रकाश का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चलता रहा। अपने पिता औमप्रकाश के समय से ही अपीलाण्ट्स काबिज रहकर विवादित आराजी पर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं, आज भी अपीलाण्टान का ही कब्जा काश्त है। हाल बंदोबस्त संवत 2058 में सैटलमैण्ट के कर्मचारीयान ने मौके व कब्जे व गत रिकॉर्ड के खिलाफ रैस्पाडेण्ट संख्या 1–2 के नाम गलत दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरस्त कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहां एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सन 2017 में पेश कर दिया, जो आज भी विचाराधीन है। एस.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

डी. ओ. रामगढ़ के यहां उक्त दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा से रैस्पोडेण्ट को ताफैसला दावा कब्जे काश्त में मजाहमत न करने हेतु व जबरन वेदखल न करने हेतु पाबन्द किया गया, जिस आदेश के खिलाफ रैस्पाडेण्ट ने अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां पेश की है, जो अपील भी विचाराधीन है। विवादित आराजी की बावत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहां दावा विचाराधीन है, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा भी अपीलाण्ट के पक्ष में जारी हो रही है। ऐसी स्थिति में रैस्पाडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो समरी प्रोसीडिंग है, विधि अनुसार नहीं चल सकता है, जिस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान है और आलोच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी की बाबत सैटलमैण्ट की दुरस्ती का एवं अपने आपको खातेदार घोषित कराने का दावा सन 2017 में एस. डी. ओ. रामगढ के यहां रैस्पाडेण्ट के खिलाफ पेश कर रखा है, जिसके विचाराधीन रहते हुए ही रैस्पाडेण्ट ने विवादित आराजी की बाबत अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 09–05–2018 को तहसीलदार रामगढ के यहां पेश किया है, जो अपीलाण्ट के दावे के बाद पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र प्रथम तो समरी प्रोसीडिंग का है, द्वितीय अपीलाण्ट के द्वारा पेश दावा के बाद का पेश किया हुआ होने के कारण धारा 10 जाब्ता दीवानी से प्रभावित होने के कारण चलने योग्य नहीं है, बल्कि स्थगित किए जाने योग्य था। जिस बाबत अपीलाण्ट अप्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस कानूनी बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। जो काबिल गौर श्रीमान है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने विवादित आराजी की बाबत पटवारी हलका/आई.एल.आर से मौके की रिपोर्ट मंगवाई, जो रिपोर्ट दिनांक 18–05–18 को पटवारी हलका व आई एल आर ने मौके पर जाकर मौका निरीक्षण करके रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ के समक्ष पेश की जिस रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलाण्ट का ही बताया है, जिस तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया, जो काबिल गौर श्रीमान है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। रैस्पाडेण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए न तो प्रार्थी रैस्पाडेण्ट स्वयं ने अपने बतौर साक्षी बयान कराए और ना ही अन्य गवाहों के साक्षी बतौर बयान कराए, जिनके अभाव में प्रार्थी रैस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार स्वीकार होने योग्य नहीं था, जिसे स्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है जो काबिल गौर श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित बिन्दुओं पर कतई गौर नहीं किया और नाही अपने निर्णय में अपीलाण्ट अप्रार्थी के जवाब का विवेचन ही किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णित नहीं होने के कारण अपास्त होने योग्य है। रैस्पाडेण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया कि अपीलाण्ट अप्रार्थी ने विवादित आराजी पर किस तारीख, माह व सन को प्रार्थी रैस्पाडेण्ट को बेदखल कर कब्जा किया था जो कि धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवश्यक है, जिसके अभाव में रैस्पाडेण्ट का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 21–10–2019 तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर अपास्त फरमाया जावे तथा रैस्पाडेण्ट का प्रार्थना पत्र संख्या 01/18 अंतर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में लिखा गया है कि पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट मंगवाई गयी। दिनांक 18.05.2018 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नंगलीमेघा के आराजी खसरा नंबर 1080/0.51 है0 महेश, दिनेश पिता भूदर मीणा के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का स्थगन जारी है, जिस स्थगन को माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा ख0नं0 1080 रकबा 0.51 है0 की हद तक स्थगित कर दिया। प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1080/0.51 है0 वाके ग्राम नंगलीमेघा तह0 रामगढ़ में स्थित है। प्रत्यर्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जिसका राजस्व रिकॉर्ड प्रत्यर्थीगण के हक में दर्ज है। प्रत्यर्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पर अपीलार्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है तथा फसल काश्त कर रहे हैं एवं प्रत्यर्थीगण को उक्त भूमि को जोतने–बोने नहीं देते हैं। आराजी ख0नं0 1080 रकबा 0.51 है0 जर्ये बैयनामा बुधुराम पुत्र भंगुराम राजपूत के क्रय किये जाने का नामान्तकरण सं0 776 दिनांक 20.07.1994 को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में स्वीकार हुआ है, तब से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावे। वकील प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय की नजीरें 2016(3) CJ(Civ.) (Raj.) Page 1331, Ugam Singh & anr. V/s L.Rs. of Dularam & ors. RRD June, 2005 पेश की गई हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नंगलीमेघा के आराजी ख0नं0 1080/0.51 है0 महेश, दिनेश पिता भूदर मीणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रत्यर्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रार्थना–पत्र धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन आदि प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पो0 ने उक्त विवादित आराजी जर्ये बैयनामा के क्रय की गई है, तब से ही प्रत्यर्थीगण का आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इसलिए अप्रत्यर्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा–काश्त होना साबित होता है। वकील प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय की नजीरें 2016(3) CJ(Civ.) (Raj.) Page 1331, Ugam Singh & anr. V/s L.Rs. of Dularam & ors. RRD June, 2005 पेश की गई हैं, जो पूर्णतयाः चस्पा होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–10–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)